# बीटेक लेट्रल एंट्री में पहले राज्य के छात्रों को मिलेगा एडमिशन

देहरादून। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) की एकेडमिक काउंसिल में बीटेक लेट्रल एंट्री (द्वितीय वर्ष) के नियमों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही निर्णय लिया गया कि लेट्रल एंट्री की सीटों पर पहले राज्य से डिप्लोमा करने वाले वाले छात्रों एवं उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद सीट रिक्त रहने पर अखिल भारतीट कोटे के नियमों से सीट भारी जा सकती है।

**सीट रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से भरी जाएगी सीट**

**आर्टिफिसियल इंटैलीजेंस पाठ्यक्रम को एकेडमी काउंसिल की हरी झंडी**

शुक्रवार को विश्वविद्यालय के सभागार में कुलपति प्रो. ओंकार सिंह की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की 13वीं बैठक हुई। बैठक संस्थानों द्वारा बीटेक लेट्रल एंट्री (द्वितीय वर्ष) में विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंसेस में बीटेक लेट्रल एंट्री (द्वितीय वर्ष) में प्रवेश के लिए छात्रों की अर्हता तथा विवि परिनियमावली में दी गई व्यवस्था पर चर्चा की गयी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सत्र 2022-23 में बीटैक लेट्रल एंट्री(द्वितीय वर्ष) में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंसेज में दी गयी व्यवस्था अनुसार पहले छात्र एआईसीटीई के मानदंडो के अनुसार उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग में तीन/चार वर्षीय डिप्लोमा पास छात्र प्रवेश के लिए पात्र हैं।

उन्होंनेबताया गया है कि संस्थानों में बीटेक लेट्रल एंट्री (द्वितीय वर्ष) में सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश दूसरे राज्यों से उत्तीर्ण डिप्लोमा होल्डर्स को संस्थानों द्वारा प्रवेश दिया गया है। बताया कि राज्य कोटे की सीटें रिक्त रहने पर अखिल भारतीय कोटे से मैरिट के आधार पर भरी जाएगी। इसी प्रकार अखिल भारतीय कोटे की सीटें रिक्त रहने की दा में राज्य कोटे से मैरिट के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। सीटे रिक्त रहने पर मैरिट से भरी जायेगी। विश्वविद्यालय परिनियमावली के प्राविधानों में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए यह अनुमोदन प्रदान किया गया कि ऐसे संस्थान शपथ पत्र विश्वविद्यालय को देंगे कि सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी/उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रुड़की से उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया है।

यह व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के स्थाई निवासी अथवा उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की से छात्र-छात्राओं के उपलब्ध नहीं होने की दशा में एआईसीटीई के मानदंडो के अनुसार अन्य राज्यों/भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों/परिषदों से ही डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को नियमानुसार प्रवेश दिया गया है। बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीटैक आर्टिफिसियल इंटैलीजेंस एण्ड मशीन लर्निंग की पाठ्यचर्या का बोर्ड आफ स्टडीज से अनुमोदन के उपरान्त एकेडमिक काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में काउंसिल सदस्य डॉ.आरपीएस गंगवार, डा.सतेन्द्र सिंह, डा.हरप्रीत सिंह ग्रेवाल, डा.अभय कुमार शर्मा, कुलसचिव आरपी गुप्ता, वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल, परीक्षा नियंत्रक डा.वीके पटेल, सुनील कुमार आदि मौजूद थे।


## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.

रुद्रपुर शाखा : दुकान नं. 06 एवं 07, प्लाट नं. डी-1, डी2, 16/1 एवं 17/1, खसरा नं. 60, स्पेड कॉम्पलेक्स, नैनीताल रोड, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर-263153 (उत्तराखण्ड)

**आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतु)**

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ता राशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

| क्र. | ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम) | धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति) | मांग सूचना का दिनांक एवं राशि | आधिपत्य की दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (लोन कोड नं. 08000000585/ रूद्रपुर शाखा) धर्मेंद्र कुमार (ऋणी) गायत्री शर्मा (सह-ऋणी) राजीव सहिं (जमानतदार) | संपति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 165 2 2 मीन, निजी प्लाट नं. 45 का भाग, इमदेव सिटी, ग्राम फैजलपुर, महरोला प्रीत विहार रोड, तहसील रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड -263153 चतुर्सीमा : पूर्व : 20 फीट चौडा रास्ता, पश्चिम : निजी प्लाट नं. 45 का भाग, उत्तर : निजी प्लाट नं. 46, दक्षिण : 30 फीट चौडा रास्ता | 13-09-2022 एवं ₹ 11,24,554/- | 29-12-2022 |

स्थान : रुद्रपुर
दिनांक : 31-12-2022

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड